

बिहार सरकार  
खान एवं भूतत्व विभाग

सं०सं०-प्र०-२-ल०ख०(ब्रिक)-०२/१८-...../एम०, पटना, दिनांक-.....  
प्रेषक,

फैक्स/ई-मेल

असंगबा चुबा आओ, भा०प्र०से०,  
विशेष सचिव-सह-निदेशक।

सेवा में,

सभी समाहर्ता।

विषय:- दिनांक 15.01.2018 से ईट-भट्टों में ई-चालान व्यवस्था लागू करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-०७/एम०, सी०, दिनांक-10.01.2018 की कंडिका-4.

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि आज दिनांक-15.01.2018 से पूरे राज्य में ईट-भट्टों से ईट का प्रेषण ई-चालान के माध्यम से ही व्यवस्था प्रभावी हो गई है।

अतः इस संबंध में यह सुनिश्चित किया जाय कि आपके जिला से ईट का प्रेषण ई-चालान के माध्यम से ही हो, यदि कोई ईट से भरा वाहन बिना ई-चालान के माध्यम से परिचालित होता हुआ पाया जाता है तो उसे अविलम्ब जब्त करते हुए उस पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक-.....287...../एम०, पटना, दिनांक-15/1/18

प्रतिलिपि:- सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सभी खान निरीक्षक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव-सह-निदेशक